न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/2019 **दायरा दिनांक : 03.01.2019**

उनवान

1– मोहनलाल
2– धन्नालाल पिसरान राधाकिशन अकवाम धाकड़, सकनाये धानोदाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट पैरोकार सरकार की ओर से

निर्णय **दिनांक : 25.01.2024**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 984/दावा /2016 निर्णय दिनांक 03.04.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम धानोदाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ में खसरा नम्बर 763 की रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा आराजी सिवाय चक में श्रीमान् परगना अधिकारी, अकलेरा के पत्र कमांक 629 राजस्व/76 दिनांक 06.08.1976 मिसल नं. 106 प्रार्थना पत्र धारा 175 आर. टी. एक्ट के तहत इन्तकाल नं. 13 से दिनांक 13.11.1976 को कब्जा राज प्राप्त कर दर्ज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03.04.2018 से वादी का वाद सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) से बाधित होने के कारण खारिज किया तथा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ च्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय तथा विधि के सारवान सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक विवाद्यक पर अलग अलग निर्णय पारित नहीं किया जो सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार आज्ञापक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व निर्णित वाद के आधार पर वाद खारिज किया है, जबकि प्रकरण में समान पक्षकार नहीं है, वाद हेतुक समान नहीं है, पूर्व वाद तथा इस वाद में विवाद्यक समान नहीं है। वादीगण वादग्रस्त आराजी को खातेदार की हैसियत से चार दशक से भी अधिक समय से जोत कर रहे हैं, इस कारण अब उन्हें इस आराजी से वंचित करना न्याय का उपहास होगा। वादीगण को उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की प्रकिया विधि द्वारा स्थापित प्रकिया नहीं अपनायी गई न ही उन्हें इस बाबत सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलार्थी समय पर इस कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि उनके पास निर्णय पारित करने के उपरान्त अपील करने की धनराशि की व्यवस्था नहीं हो सकी थी ज्यों ही उनके पास दिनांक 17.09.2018 को अपील की धनराशि की व्यवस्था हुई, नकल निकलाकर, अपील के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त कर आज माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी एवं धनराशि की व्यवस्था होने पर दिनांक 17.09.2018 को यह अपील अवधि मध्य पेश की है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. टी. 2016 (1) पेज 689 की नजीर प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते दर्ज थी और वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत गलत रूप से कार्यवाही करते हुए, अपीलांट को सूचित किये बिना ही उनकी आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 685 दिनांक 09.08.2010 दर्ज कर अपीलांट को खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया जो वैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त अबाराजी के सन्दर्भ में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में पॉच तनकीयात कायम की गई। प्रकरण में तनकीयात कायम करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 20 नियम 5 सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत प्रत्येक तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर रेसज्यूडिकेटा के आधार पर वाद खारिज कर दिया, जबकि प्रकरण में समान पक्षकार नहीं है, वाद हैतुक समान नहीं है, पूर्व वाद तथा इस वाद में विवाद्यक भी समान नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 03.04.2018 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाये।

7 विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में दायर वाद संख्या 984/दावा/2016 में निर्णय दिनांक 03.04.2018 से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

8 यह कि ग्राम धानोदाकला, तहसील खानपुर की हाल खसरा नम्बर 763 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2279/245–347 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा को खातेदार गोदा पुत्र कान्हा, जाति भील ने दिनांक 26.04.1973 को 3000/– में कन्हैया लाल, प्रताप वगैरह जाति धाकड को बेचान कर दिया, जो कि सवर्ण जाति के लोग थे।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9 उपरोक्त बेचान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर परगना अधिकारी, अकलेरा के पत्र कमांक 629/राजस्व/76 दिनांक 06.08.1976 मि0 नं0 106 प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इंतकाल नं. 13 दिनांक 13.11.1976 से भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

10 उपरोक्त वर्णित सिवायचक भूमि को दिनांक 26.05.1989 को आवंटन कमेटी द्वारा राजस्व अभियान में वादीगण मोहनलाल वगैरह, जाति धाकड को आवंटित कर दी गई जिसकी पालना में तहसीलदार खानुपर द्वारा इंतकाल नं. 264 दिनांक 22.07.1989 दर्ज किया जाकर गैर खातेदारी प्रदान की गई।

11 उक्त गैर खातेदारी भूमि पर नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 02.06.2000 से खातेदारी प्रदान की गई।

12 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 3) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हो गयी है। इन नियमों के प्रावधानानुसार कमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही आवंटित की जायेगी।

13 प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 763 की धारा 175 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज हुई थी। अतः इसका आवंटन भी उसी वर्ग के व्यक्ति को होना चाहिए था जिस वर्ग की यह भूमि सिवाय चक दर्ज होने से पूर्व थी।

14 प्रकरण संज्ञान में आने के बाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने प्रकरण संख्या 3/09 निर्णय दिनांक 30.04.2010 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 2279/245–547 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा को सिवाय चक (खाता सरकार) दर्ज करने का निर्णय पारित कर दिया।

15 उपरोक्त निर्णय की अपील वादी द्वारा अपीलीय न्यायालय में न कर पुनः उसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में कर दी। जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण संख्या 984/दावा/2016 निर्णय दिनांक 03.04.2018 में वाद सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) से बाधित होने के कारण अपील को खारिज कर दिया।

विशेष कथन :–

16 प्रकरण में ग्राम धानोदाकला, तहसील खानपुर की हाल खसरा नम्बर 763 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2279/245–347 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा को खातेदार गोदा पुत्र कान्हा, जाति भील ने दिनांक 26.04.1973 को 3000/– में कन्हैयालाल, प्रताप वगैरह जाति धाकड को बेचान कर दिया, जो कि सवर्ण जाति के लोग थे। श्रीमान् परगना अधिकारी, अकलेरा के पत्र कमांक 629/राजस्व/76 दिनांक 06.08.1976 मि0 नं0 106 प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इंतकाल नं. 13 दिनांक 13.11.1976 से सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

17 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 3) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हो गयी है। इन नियमों के प्रावधानानुसार कमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही आवंटित की जायेगी। किन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी ने तथ्य छुपाते हुए उपरोक्त वर्णित सिवायचक भूमि को दिनांक 26.05.1989 को आवंटन कमेटी से राजस्व अभियान में वादीगण ने स्वयं के नाम आवंटित करा ली, जिसकी पालना में तहसीलदार खानपुर द्वारा इन्तकाल नं. 264 दिनांक 22.07.1989 दर्ज किया जाकर गैर

(दीपक रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खातेदारी प्रदान की गई। उक्त गैर खातेदारी भूमि पर नामान्तकरण सं. 440 दिनांक 02.06.2000 से खातेदारी प्रदान की गई।

18 प्रकरण संज्ञान में आने के बाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने प्रकरण संख्या 3/09 निर्णय दिनांक 30.04.2010 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 2279/245–547 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा को सिवाय चक (खाता सरकार) दर्ज करने का निर्णय पारित कर दिया।

19 उपरोक्त निर्णय की अपील वादी द्वारा अपीलीय न्यायालय में न कर पुनः उसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में कर दी। जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण संख्या 984/दावा/2016 निर्णय दिनांक 03.04.2018 में वाद सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) से बाधित होने के कारण, अपील को खारिज कर दिया। मेरी राय में अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि सम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वादी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

20

21 प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया।

22 इस कम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2018 को अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि पैरोकार सरकार द्वारा जवाबदावे के साथ पेश न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 30.04.2010 की प्रति का ससम्मान अवलोकन किया। उक्त प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम गोदा वगैरह के नाम से प्र0 सं0 03/09 दिनांक 14.05.2009 को न्यायालय हाजा में वर्तमान वाद के प्रतिवादी एवं पैरोकार सरकार द्वारा दायर किया गया था। उक्त प्रकरण में वर्तमान वाद के वादीगण, प्रतिवादी के रूप में संयोजित है। प्रकरण में विवादित आराजी वर्तमान वाद में विवादित आराजी अर्थात् ग्राम धानोदाकलां की ख0 नं0 763 की 7.02 बीघा आराजी ही है। उक्त प्रकरण की नियमानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त माननीय न्यायालय हाजा द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 30.04.2010 को अंतिम रूप से विनिश्चय किया गया है।

23 इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः यह सुस्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम गोदा वगैरह प्रकरण सं0 03/09 निर्णय दिनांक 30.04.2010 एवं वर्तमान विचाराधीन वाद में पक्षकार, विवाद की विषय वस्तु एवं पक्षकारों का दावा एक समान है। वादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि प्रश्नगत प्रकरण में राजस्थान सरकार बनाम गोदा वगैरह में निर्णय इस न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है, परन्तु वादी का कथन यह है कि माननीय न्यायलय हाजा का उक्त पूर्व निर्णय विधि विरूद्ध है। अगर उक्त निर्णय से जो भी पक्षकार सहमत नहीं था तो उसे उसकी निर्धारित मियाद में इसके विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील की जानी चाहिये थी जो कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार नहीं की है। अतः जब तक माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के सम्बन्ध में अपना कोई पृथक निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता है तब तक यह निर्ण्य अपने आप में अंतिम निर्णय है। न्यायालय हाजा सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से आबद्ध है तथा वह एक बार गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से विनिश्चय समान प्रकरण को पुनः नहीं सुन सकती है और ऐसा किया जाना न्याय की अंतहीन श्रृंखला के समान हो जायेगा।

24 अतः वादी का वाद सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न निर्णय दिनांक 30.04.2010 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2010 से निर्णित प्रकरण संख्या 03/09 में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार

(दीपक रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुनवाई करते हुए उक्त वाद को अंतिम रूप गुणावगुण के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 30.04.2010 से निर्णित किया जा चुका है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं होता। उक्त निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के स्थान पर वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.09.2010 को धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2018 से सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित मानते हुए खारिज कर दिया। अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। इस सन्दर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर. आर.टी. 2016 (1) पेज 689 प्रस्तुत अपील पर चस्पा होना नहीं पाया जाता क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के सन्दर्भ में पूर्व में ही अंतिम रूप से निर्णय पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 11 सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी प्रकार राज0 भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 3) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हो गयी है। इन नियमों के प्रावधानानुसार कमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही आवंटित की जायेगी। इसके बावजूद भी अपीलार्थी ने तथ्य छुपाते हुए उपरोक्त वर्णित सिवायचक भूमि को दिनांक 26.05.1989 को आवंटन कमेटी से राजस्व अभियान में वादी अपीलांट ने स्वयं के नाम आवंटित करा ली जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने प्रकरण सं. 03/09 निर्णय दिनांक 30.04.2010 वादग्रस्त आराजी को सिवायचक (खाता सरकार) दर्ज करने का निर्णय पारित कर दिया, जो विधि सम्मत है।

26 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–8 जमाबंदी संवत 2063–2066 ग्राम धानोदाकलां खाता संख्या 86 से स्पष्ट है कि वाद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2010 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175–177 की कार्यवाही के तहत सिवाय चक दर्ज की गई थी। इस तथ्य की जानकारी अपीलांट वादी को थी। डिक्री दिनांक 30.04.2010 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 685 एक्जीविट पी–9 से विवादित आराजी को सिवाय चक दर्ज किया गया है। इस डिक्री को अपीलांट जब तक सक्षम अपीलीय न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेता तब तक उसे इस आराजी के बारे में अपने अधिकारों की घोषणा बाबत वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है एवं कानूनन किसी भी व्यक्ति को कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। इस बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

27 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2018 यथावत रखा जाता है।

28 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा